

कार्यालय : - वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शाहपुरा, जिला - जयपुर

क्रमांक - 11 / 45


दिनांक - 04/5/2020

:: कार्यालय आदेश ::

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 17/पी.आई./2020 दिनांकित 02.05.2020 के जरिये दिनांक 17.05.2020 तक आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई किये जाने के दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा शेष प्रकरणों को दिनांक 17.05.2020 के पश्चात् नियत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी पालना में इस कार्यालय की दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक प्रकरणों में निम्नानुसार तारीख पेशी नियत की जाती है।

इस दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्य जमानत प्रार्थना पत्रों, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्रों, रिमाण्ड, बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी की सुनवाई, न्यायिक अभिरक्षा व नये स्टे प्रार्थना पत्रों एवं अति आवश्यक कार्य दिनांक 17.05.2020 तक समय 08:30 ए.एम से 11:00 ए.एम पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाया वाट्सएप, ई-मेल के जरिये की जावेगी।

क्र. सं.	पेशी की दिनांक	फौजदारी प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक	दीवानी प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक
1.	04.05.2020	19.06.2020	14.07.2020
2.	05.05.2020	20.06.2020	15.07.2020
3.	06.05.2020	22.06.2020	16.07.2020
4.	07.05.2020	23.06.2020	17.07.2020
5.	08.05.2020	24.06.2020	18.07.2020
6.	11.05.2020	25.06.2020	20.07.2020
7.	12.05.2020	26.06.2020	21.07.2020
8.	13.05.2020	29.06.2020	22.07.2020
9.	14.05.2020	30.06.2020	23.07.2020
10.	15.05.2020	14.07.2020	24.07.2020
11.	16.05.2020	15.07.2020	27.07.2020


  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : 95

दिनांक : 04/5/2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर।
2. दी वार एसोसिएशन शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. समाचार पत्र दैनिक भास्कर/ राजस्थान पत्रिका।
4. आदेश पत्रावली/ कार्यालय पत्रावली।
5. नोटिस बोर्ड।

  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
शाहपुरा, जयपुर जिला, जयपुर